DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, शनिवार, 18 फरवरी 2023

डीडीए-डीयूएसआईबी से जवाब मांगा

तोड़फोड़ मामला

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से महरौली में गोशिया झुग्गी बस्ती निवासियों की याचिका पर अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने डीडीए और डीयूएसआईबी को 21 फरवरी तक अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को तीन दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला मामला 28 फरवरी का है। पीठ ने डीडीए के वकील से दस्तावेजों और गूगल छवियों के साथ एक हलफनामा दायर करने को कहा है। अदालत ने डीयूएसआईबी के वकील से याचिकाकर्ता कॉलोनी को अधिसूचित जेजे क्लस्टर की सूची में जोड़ने और बाद में इसे हटाने के लिए आधार का उल्लेख करने के लिए भी कहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। याचिका गोशिया कॉलोनी सेवा समिति व अन्य ने अधिवक्ता अनुप्रधा सिंह के माध्यम से दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने गोशिया स्लम कॉलोनी के निवासियों को दिए गए 12 दिसंबर, 2022 के अतिक्रमण हटाने संबंधी नोटिस को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि गोशिया स्लम कॉलोनी 50 वर्षों से ज्यादा समय से अस्तित्व में है। इसमें लगभग चार हजार आबादी के साथ सात सौ से अधिक घर हैं।

टीम ने लाजपत नगर में अतिक्रमण हटाया

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के लाजपत नगर वार्ड में सामान्य शाखा के अधिकारियों ने पुष्पा मार्केट, फिरोज गांधी मार्ग, वीर सावरकर मार्ग सहित अन्य आस-पास के क्षेत्र में सड़कों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। यह अतिक्रमण करीब ढाई किलोमीटर की सड़क से हटाया गया है। निगम का कहना है कि अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान 17 सामान जब्त किए गए और यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी।

Hindustan Times

₹2,232 cr penalty imposed on Delhi

NEW DELHI: The National Green Tribunal (NGT) on Thursday directed the Delhi government to pay ₹2,232 crore as environmental compensation for improper management of solid and liquid waste, and constituted a solid waste monitoring committee under the chairmanship of lieutenant governor (LG) VK Saxena

A bench headed by NGT chairperson justice AK Goel said there were gaps in the management of solid and liquid waste (sewage) in Delhi.

"Monitoring should now be done at the highest level of administration in Delhi with the inclusion of all other authorities concerned--including Delhi government, municipal corporation, Delhi Development Authority with strong monitoring mechanism envisaging a weekly review with defined targets and accountability on the pattern of Yamuna monitoring committee," the NGT said in its order dated February 16. The committee has been asked to submit its report by April 30 this year.

To be sure, the Municipal Corporation of Delhi manages solid waste in Delhi, while the state government is responsible for handling sewage.

Officials in the LG office said that the tribunal took the decision after taking into account the work done by Saxena towards the management of legacy waste in recent months.

The NGT order also said the payment has to be made by the chief secretary, Delhi, within one month. "On the pattern of compensation awarded in respect of other states, compensation of ₹3,132 crore is liable to be levied on the Delhi government – ₹990 crore for solid waste and ₹2,142 crore for solid waste," it said.

Deducting the compensation for solid waste already levied (₹900 crore) in October last year, the remaining amount of ₹2,232 crore has to be paid by the government in line with the "polluter pays" principle, the bench noted. HTC

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 18 फरवरी 2023 TED

सरकार पर लगा ₹3132 करोड़ का जुर्माना

■ **विस, नई दिल्ली :** राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन निकलने वाले ठोस और तरल कचरे के हिसाब से उसके शोधन के बीच गैप के अभी भी बने होने को एनजीटी ने गंभीरता से लिया। ट्रिब्यूनल ने इस 'आपात समस्या' के समय से समाधान में दिल्ली सरकार को विफल मानते हुए उस पर 3132 करोड़ का जुर्माना लगाया। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमिटी का गठन करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर 18 सालों तक और एनजीटी के स्तर पर पिछले नौ सालों से लगातार निगरानी के बाद भी 'आपात स्थिति' का समाधान न हो पाए, तो ऐसे में दिल्ली के सर्वोच्च प्रशासनिक स्तर पर इसकी निगरानी कराए जाने की जरूरत है, जिसमें संबंधित सभी विभागों की बराबर की भागीदारी हो।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली बेंच ने निर्देश दिया कि यमुना निगरानी समिति की तर्ज पर परिभाषित लक्ष्यों और जवाबदेही की साप्ताहिक समीक्षा के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए समेत संबंधित विभागों वाला मजबूत निगरानी तंत्र बनाया जाए। समिति में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी अन्य सदस्यों के साथ शामिल रहेंगे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि समिति की सफलता लैंडफिल साइट से कचरे के पहाड़ की ऊंचाई में कमी, कचरे से मुक्त कराई गई जमीन पर पर्यावरण की बहाली और मौजूदा कचरे के उत्पादन के हिसाब से उसके शोधन के बीच अंतर को तेजी से कम करने के आधार पर आंकी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी से इनोवेटिव अप्रोच के साथ इस दिशा में कदम उठाने की उम्मीद जताते हुए एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में सफल कोशिशें, पूरे देश के लिए नजीर बन सकती हैं।

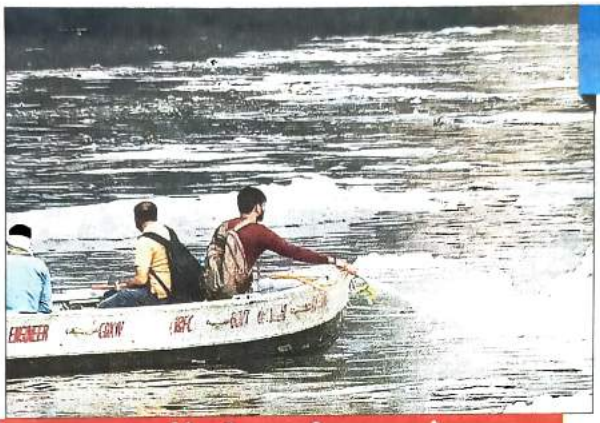

जुर्माने की वसूली जनता से !

ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में अभी भी लंबे गैप को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि इसके लिए दिल्ली सरकार पर 3132 करोड़ मुआवजे की देनदारी बनती है। एक महीने के भीतर इस रकम के भुगतान की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी को दी गई है। एनजीटी के आदेश के मुताबिक, इन पैसों का इस्तेमाल गैप को कम करने के लिए होना चाहिए। साथ में यह भी कहा कि सरकार इस रकम की वसूली घरों, कॉरपोरेट, बिजनेस सेक्टर, कमर्शल इस्टैब्लिशमेंट और टूरिस्ट से वसूली करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकती है, जो कचरा पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं।

आप के खाते से वसूला जाए जुर्माना : बीजेपी

■ **प्रस, नई दिल्ली :** यमुना में बढ़ रहे प्रदूषण पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 6100 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। इसे लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जुर्माना आम आदमी पार्टी के खाते से वसूल किया जाना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के 35 में से 23 एसटीपी मानकों पर फेल हैं, जिसका नतीजा यह है कि यमुना में लगातार गंदा पानी जा रहा है। जुर्माने के रुपये आम आदमी पार्टी के खाते से वसूले जाने चाहिए। वहीं नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि दिल्ली सरकार की लापरवाहियों के चलते ही पहले 900 करोड़ और अब 6100 करोड़ रुपये जुर्माना एनजीटी ने लगाया है।

6 महीने में 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा कम हुआ

■ **विस, नई दिल्ली:** राजधानी में कूड़े के पहाड़ से पिछले छह महीनों के दौरान 30 लाख टन मीट्रिक टन कूड़ा कम हुआ है। उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी की तर्ज पर एनजीटी ने एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमिटी का भी गठन किया है। एलजी ऑफिस के अनुसार पिछले छह महीने के दौरान हर महीने करीब 6.5 लाख मिट्रिक टन औसत कूड़ा लैंडफिल साइट से कम किया गया है। 2019 से जून 2022 तक यहां से महज 51 लाख मीट्रिक कूड़ा ही कम किया जा सकता था। यानी कूड़े को कम करने की दर महज 1.4 लाख मिट्रिक टन आई है।

साफ हों पब्लिक टॉयलेट: HC

■ **विस, नई दिल्ली:** पब्लिक टॉयलेट और यूरिनल्स में गंदगी का मामला एक याचिका के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। अदालत ने अधिकारियों को इनकी सफाई के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, डीडीए, दिल्ली कैंट बोर्ड और बिजली कंपनियों को 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, FEBRUARY 18, 2023

Mehrauli demolition: HC asks DDA, DUSIB to file affidavits with Google images

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Friday asked Delhi Development Authority (DDA) and Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) to file their affidavit with Google images in the petition filed by residents of Gosiya Colony in Mehrauli.

DDA is carrying out a demolition drive in the area against what it claims are illegal encroachments. The matter is listed for hearing on February 28. The bench asked the standing counsel for DDA to file an affidavit with documents and Google images.

The petition has been filed by the Gosiya Colony Sewa Samiti and others challenging the December 12, 2022, demolition notice served to the residents of Gosiya Slum Colony, which has been in existence for more than 50 years and consists of more than 700 houses and over 4,000 population.

The counsel for the petitioner submitted before the court that almost all the residents of the slum colony have documents prior to 2015, as required by DUSIB for rehabilitation under the Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015.

The eviction notice served is entirely illegal, the petitioners contended. The petitioner stated that any demolition drive cannot be carried out without following the protocol for removal of jhuggis as per the order of the high court.

On Thursday, the HC directed the DDA directed to file an e-copy of the demarcation report pertaining to the Mehrauli properties facing its demolition squad to all the petitioners, latest by Friday.

The court was hearing a batch of petitions filed by the owners of properties for halting DDA's demolition drive in Mehrauli Archaeological Park area with respect to certain properties.

Meanwhile, Aam Admi Party MLA Naresh Kumar Yadav on Wednesday withdrew his plea challenging the demolition drive.

NGT constitutes panel under LG to tackle waste

Imposes ₹2,232cr Fine On Govt

Priyangi.Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: National Green Tribunal (NGT) on Friday constituted a committee, headed by the lieutenant governor of Delhi, to deal with all issues related to solid waste management. It also directed Delhi government to pay Rs 2,232 crore as environmental compensation for improper management of solid and liquid waste.

Observing gaps in the management of solid and liquid waste as per the data presented by the chief secretary, NGT formed the committee, which will look into issues such as setting up of more waste processing facilities, augmenting existing facilities and remediation of legacy waste sites.

330
LAKH MT TOTAL LEGACY WASTE IN CITY NOW, SAYS GREEN TRIBUNAL

"The data with regard to solid waste management is incomplete as the quantity of legacy waste is mentioned as 280 lakh MT (metric tonne) in July 2019, which does not mention the current data. Since current processing is less than generation, there is addition to legacy waste," pointed out the bench led by NGT chairperson Justice AK Goel. "Considering the gap of 4,360TPD (tonne per day), the legacy waste added in the last three years can be taken roughly as 50 lakh MT. Thus, the total legacy waste is more than 330 lakh MT," it said.

With regard to sewage management, NGT noted that the treatment capacity being 530MGD, the gap in generation and treatment, as per the data given, is 238MGD or 1,071MLD.

NGT said a compensation of Rs 3,132 crore is liable to be levied on Delhi government — Rs 990 crore for solid waste and Rs 2,142 crore for liquid waste. Last October, the government was slapped a penalty of Rs 900 crore for failing to dispose of over 3 crore MT garbage in three landfills in the city, and this amount was deducted from the current fine.

"The remaining amount of Rs 2,232 crore has to be paid by Delhi government on 'polluter pays' principle to be used for tackling the emergent situation prevailing in Delhi, posing danger to the safety of the citizens, apart from continuing damage to the environment, which cannot be ignored. This payment will be responsibility of the chief secretary, Delhi," said the tribunal.

NGT observed that since the emergent situation wasn't addressed after monitoring at the level of Supreme Court for 18 years and at the level of the tribunal for the past nine years, monitoring should now be at the highest level of administration in Delhi with the inclusion of all other authorities concerned, including Delhi government, municipal corporation and Delhi Development Authority, with strong monitoring mechanism and weekly reviews with defined targets and accountability on the pattern of the Yamuna monitoring Committee.

The tribunal said officers of the rank of chief engineers be named for fixing responsibility for remediation of the landfills and setting up waste processing facilities. The committee may compile data of solid waste remediated as on March 31 and thereafter; graphs may be prepared on quarterly basis with goal of reducing the processing gap by July 1.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, FEBRUARY 18, 2023

For improper waste management, Delhi govt to pay Rs 3,132 cr

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 17

THE NATIONAL Green Tribunal (NGT) has imposed an environmental compensation of Rs 3,132 crore on the Delhi government for gaps in management of solid and liquid waste.

The payment, which will be the responsibility of the Delhi Chief Secretary, is to be made within one month and the amount can be drawn only for waste management, according to the NGT order.

Last October, the NGT had imposed a compensation amount of Rs 900 crore for failure to scientifically handle solid waste and the Delhi government had filed a review application seeking reconsideration of this order. The review application has been dismissed.

In the latest order, the NGT's Principal Bench noted that this amount of Rs 900 crore has not been paid yet and is to now be paid with an additional amount of Rs 2,232 crore. The compensation being levied is at the rate of Rs 2 crore per MLD (million litres per day) of untreated sewage and Rs 300 per tonne of untreated legacy waste. It is at this rate that compensation of Rs 3,132 crore is liable to be levied on Delhi government on "polluter pays principle" and is to be used for "tackling the emergent situation prevailing in Delhi posing danger to the safety of the citizens, apart from continuing damage to the environment which cannot be ignored."

Much like a case from January in which the NGT constituted a committee headed by the Lieutenant Governor to look into the issue of pollution of the Yamuna, solid waste management in the city will also now be monitored by a committee that will be headed by the L-G. The committee will include the Chief Secretary, DDA Vice-Chairman, MCD Commissioner, officials of the Delhi government and the Union government.

While constituting the committee, the NGT observed that "in the given situation when emergent situation remains untackled after monitoring at the level of Hon'ble Supreme Court for 18 years and at the level of this Tribunal for the last nine years, monitoring should now be at the highest level of Administration in Delhi with inclusion of all other concerned authorities..."

Referring to a Supreme Court order from 2018 on solid waste management, the NGT observed in its order on Friday that "it is seen that the Hon'ble Supreme Court expected the L-G Delhi, being Administrator of Delhi, to take final call on the issue. We have thus to consider this aspect."

The committee will now deal with all issues related to solid waste management including setting up new waste processing facilities and remediation of legacy waste, and will work with the "goal of substantial reduction of legacy waste and the gap in current processing" by July 1 this year.

On raising the funds, the order said that, if necessary, the government may lay down mechanisms for raising funds by way of user charges by households or contributions from business sectors, commercial establishments and tourists who contribute to waste.

While data submitted by the Delhi government said that the Okhla, Bhalswa and Ghazipur landfills will be remediated entirely by May 2024, the NGT has said in its order that this timeline may be shortened.

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2023 | 5

सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव न होने पर केंद्र समेत अन्य को नोटिस

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव ठीक से न होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी समेत दस विभागों व संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी।

जनसेवा वेलफेयर सोसायटी की ओर से अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया है कि सार्वजनिक शौचालय गंदे रहते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। संक्रमण का खतरा बना रहता है। शौचालयों से उठने वाली दुर्गंध से आसपास का वातावरण भी दूषित होता है।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उनकी तरफ से विभिन्न स्तरों पर बदहाल शौचालयों को लेकर शिकायतें की गईं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सार्वजनिक शौचालयों को दुरुस्त करने, वहां बिजली कनेक्शन, स्वच्छता का पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि शौचालयों को साफ किया जाए और उसकी रिपोर्ट छह सप्ताह में दाखिल की जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------------------DATED-------------------

यमुना का डूब क्षेत्र होगा अतिक्रमण मुक्त, हटाई जाएंगी झुग्गियां

- नदी की सफाई के साथ चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, डीडीए की तैयारी शुरू
- दिल्लीवासियों को जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान

राज्य ब्यूरो, **नई दिल्ली** : यमुना नदी की साफ-सफाई के साथ इसके तटों को भी सजाया-संवारा जाएगा। इसी कड़ी में यमुना नदी के डूब क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। यहां बसी झुग्गियों और अन्य कब्जों को हटाया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इसके मद्देनजर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली में यमुना डूब क्षेत्र में ज्यादातर जगह अतिक्रमण है। हजारों की संख्या में झुग्गियां बसी हैं, तो कई जगह चाय या फल-सब्जी के खोखे दिखे जाते हैं। कहीं तबेलों में पशु बंधे हैं, तो कहीं खेती हो रही है। इन सबकी गंदगी यमुना में जा रही है। अब चूंकि नदी में गिरने वाली गंदगी को रोका जा रहा है, तो यमुना के डूब क्षेत्र की सफाई के लिए भी उपराज्यपाल वीके **सक्सेना** ने गहन अभियान की शुरुआत कर दी है।

कश्मीरी गेट के समीप यमुना नदी के कुदेशिया घाट पर फावड़ा चलाकर एलजी वीके सक्सेना ने बृहस्पतिवार को डूब क्षेत्र के सफाई अभियान की शुरुआत की थी • जागरण आर्काइव

इसी कड़ी में डूब क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की रूपरेखा तैयार कर उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। एक बार हटाने के बाद अतिक्रमण दोबारा न हो, इसके लिए प्रादेशिक सेना भी मदद करेगी। नदी के डूब क्षेत्र में बाकायदा सीमांकन भी किया जाएगा। डीडीए के प्रमुख आयुक्त (उद्यान) राजीव तिवारी ने बताया कि कई हिस्सों से अतिक्रमण हटाया जाने लगा है। कुदेशिया घाट के आसपास 21-22 फरवरी को **अतिक्रमण** हटाया जाएगा।

कार्रवाई में 'बेघर होने वालों को **जागरूक करेगा** डीडीए: महरौली और लाडो सराय सहित जहां- कहीं भी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के **तहत** लोग 'बेघर' हो **रहे हैं**, उन्हें जागरूक करने के लिए डीडीए विशेष अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत इश्तहार निकालकर, पब्लिक नोटिस जारी कर और बीच बीच में शिविर **भी लगाकर** लोगों को बताया जाएगा कि कहीं घर, दुकान अथवा भूमि खरीदते समय किन **बातों का** खासतौर पर ख्याल **रखें**। **कहीं** ऐसा ना हो जाए कि **जिंदगी** भर की पूंजी गंवा देने के बाद वो संपत्ति भी नहीं बच पाए। जागरण से बातचीत में डीडीए **के** उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा ने बताया **कि** बिल्डर अवैध रूप से जमीन कब्जा करके वहां प्लाट काट देते **हैं और** इमारतें भी खड़ी कर देते हैं। भोले-भाले लोग इनके चंगुल में फंसकर जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। बाद में कार्रवाई होती है, तो बिल्डर का अता-पता नहीं होता, जबकि लोग सड़क पर आ जाते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक किया जाना बहुत जरूरी है कि जब भी कहीं संपत्ति खरीदें, तो किन किन बातों का ध्यान रखें, ताकि बाद में पछताना न पड़े।

उचित कदम » संपादकीय

कूड़े के **पहाड़** को भी समतल कराएंगे एलजी

- एनजीटी ने बनाई एलजी की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति
- गाजीपुर, भलस्वा व ओखला लैंडफिल स्थलों पर कूड़े को निपटाएगी समिति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : छह महीने में ही गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट से 30 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरे का निपटान करने वाले उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक और अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उच्च स्तरीय यमुना निगरानी समिति की तर्ज पर एलजी की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति का भी गठन कर दिया गया है।

एनजीटी ने 16 फरवरी के अपने आदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर असंतोष जताया **था**। साथ ही **कहा था**, 'हमारा विचार है कि जब 18 वर्ष तक सर्वोच्च अदालत और ट्रिब्यूनल के स्तर पर नौ वर्ष तक निगरानी के बावजूद आपात स्थिति **बनी** रहती है, तो **अब** दिल्ली में प्रशासन के उच्चतम स्तर पर निगरानी होनी चाहिए। साथ ही इसमें **दिल्ली** सरकार, नगर निगम, डीडीए सहित **अन्य** सभी संबंधित प्राधिकरणों को शामिल किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम उपराज्यपाल की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति का गठन करते हैं।'

समिति के सदस्यों **में मुख्य सचिव**, सचिव, शहरी विकास, वन और पर्यावरण, कृषि और वित्त, **दिल्ली सरकार**, उपाध्यक्ष डीडीए, **सचिव या उनके नामित** (अपर **सचिव के रैंक से नीचे नहीं**), कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, अध्यक्ष सीपीसीबी, निगमायुक्त व न्यायिक जिला मजिस्ट्रेट और डीसीपी होंगे। समिति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन **से संबंधित** सभी मुद्दों से निपटेगी, **जिसमें** नई अपशिष्ट प्रसंस्करण **सुविधाओं** की स्थापना, मौजूदा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ाना और कचरे का उपचार शामिल है।' **एनजीटी** ने कहा है कि समिति एक सप्ताह के भीतर बैठक कर ट्रिब्यूनल के निर्देशों के संबंध में स्थिति **का** जायजा ले सकती है। साथ ही एलजी और मुख्य सचिव जागरूकता अभियान के लिए आवश्यक व्यय कर सकते हैं। समिति वेबसाइट भी बना **सकती है और** सभी संबंधितों की जानकारी के लिए और सार्वजनिक भागीदारी को सक्षम करने के लिए वेबसाइट पर अपनी कार्यवाही रख सकती है।

उचित कदम

दिल्ली में यमुना नदी के डूब क्षेत्र **को अतिक्रमणमुक्त करने, यानी सभी** झुग्गियां **व** अवैध कब्जे हटाने **की डीडीए की योजना सर्वथा उचित** है। अतिक्रमण हटाने के साथ ही डूब क्षेत्र **को साफ किया** जाएगा, जिसके लिए अभियान **की** उपराज्यपाल वीके **सक्सेना ने** बृहस्पतिवार को शुरुआत की। अतिक्रमण हटाने और **सफाई करने के** बाद यमुना तटों को भी सजाया-संवारा भी जाएगा। हटाने **के बाद दोबारा** अतिक्रमण न हो, इसके लिए प्रादेशिक सेना के जवान **तैनात करने की** भी योजना है। साथ ही डीडीए लोगों को **जागरूक** भी करेगा कि वे भूमि, घर या दुकान खरीदते समय क्या सावधानियां बरतें, **ताकि** कोई धोखाधड़ी कर डूब क्षेत्र या सरकारी **भूमि** न बेच दे, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़े।

यमुना के डूब क्षेत्र में कब्जा कर झुग्गियां, मकान और दुकान बन जाने के लिए आमजन के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी दोषी हैं

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों ने यमुना के डूब क्षेत्र में भी **कब्जा कर** झुग्गियां, मकान और दुकान **बना लिए। इसके लिए** जितना **ये लोग दोषी हैं**, उतना ही संबंधित विभागों **के अधिकारी** भी दोषी हैं। **यह** सही है कि डीडीए **डूब क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त** कर **यमुना तटों को सजाने** की योजना पर काम **कर रहा है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो अधिकारी कब्जे को रोकने का** प्रयास **नहीं किया**, उनके खिलाफ भी विभागीय जांच **की जाए और दोषी** पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। **उन लोगों का भी पता** लगाया जाना चाहिए जिन्होंने लोगों को कब्जे **के लिए उकसाया।** यह संदेश सभी को स्पष्ट **रूप** से दिया जाना चाहिए कि जो राजधानी को कुरूप करने का प्रयास करेगा, उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा।

महरौली की एक झुग्गी को लेकर डूसिब से मांगा गया हलफनामा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: महरौली की घोसिया झुग्गी बस्ती का नाम पुनर्वासित-अधिसूचित जेजे समूहों **की** सूची में जोड़ने और फिर उसे हटाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हलफनामे में ऐसा करने का कारण **स्पष्ट** किया जाए **और** इसे 21 फरवरी तक दाखिल किया जाए। इसके साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को भी एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है।

महरौली की घोसिया झुग्गी बस्ती **के** निवासियों **ने याचिका दायर** की है। इस झुग्गी को भी **हटाया जाना था**। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति **मनमीत** प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने डूसिब से **कहा कि यह** लोगों के 400 घरों से जुड़ा मामला **है**।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI *
FEBRUARY 19, 2023

DDA asking us to vacate Bhoomiheen Camp: Residents

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: People living in jhuggis at Bhoomiheen Camp in south Delhi's Govindpuri complained about Delhi Development Authority giving them notice to vacate the area and failing which their houses or structures would be demolished without intimation.

Subroto Mondal, a camp dweller, claimed that over 1,000 jhuggi residents were served the notice last month informing them that they were ineligible for allotment of EWS flats due to lack of the required documents. "I have been living here since 2005 and applied for an EWS flat along with all the documents. On November 17, DDA rejected my case saying that my voter card issued on May 1, 2015 didn't meet the cut-off date of January 1, 2015," said Mondal. "I took the matter to the appellate authority and submitted other documents to prove my existence. The judges also saw videos showing me present there. But on January 27, I received a notice asking me to shift out from the camp."

Of the 2,891 households in Bhoomiheen Camp in Govindpuri, 1,862 were deemed eligible for new flats, and 1,029 households were asked to move DDA's appellate authority

A DDA official clarified, "Of 2,891 households in Bhoomiheen Camp JJ cluster, 1,862 had complete documents and required under the rehabilitation/relocation policy of DUSIB and were, therefore, deemed eligible for new flats. But 1,029 households were declared ineligible for relocation and were given the opportunity to file an appeal before the appellate authority constituted by DDA under a retired district and sessions judge. Only persons found eligible by the appellate authority will be considered for allotment of EWS flats."

Randhir Kumar Kaushal, another camp resident, claimed to have been rejected by the appellate authority too. "I am living on the upper floor of a jhuggi so the question of having a separate electricity meter doesn't arise. But the appellate authority argued that the person must have a separate meter and ration card. A majority of the appeal cases have been rejected on the same grounds," he said.

Arun Das, 24, said that the family ration card doesn't include his name and the electricity meter is in his parents' name. "After 2015, the issue of ration cards in the area was stopped. So, I have sought legal help on the matter before I go to the appellate authority."

DDA said that the ineligible residents have been asked to make their own arrangements before the agency begins action to reclaim the lamp illegally occupied by Bhoomiheen Camp. The land will then be utilised for rehabilitating eligible residents of Navjeevan Camp and Jawaharlal Nehru Camp.

Drain that may save IGI from flooding to be ready by June

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Saturday asked Delhi Development Authority (DDA) to complete the construction of the airport drain in Dwarka by this June.

The drain is expected to provide relief from waterlogging in and around Indira Gandhi International Airport (IGIA) and various sectors of adjacent Dwarka during monsoon. Officials said the project would also ensure hassle-free movement of delegates and dignitaries visiting the capital during the monsoon months for the G20 Summit this year.

According to officials, the drain would channelise the rain and storm water discharge from IGIA to Najafgarh Drain. They alleged that the project had been stuck for almost two years for the want of permission to cut and translocate trees. "It was only after the LG's intervention that permission for tree translocation was given and the work on the drain commenced on November 20, 2022. The LG has also ensured seamless inter-agency coordination, resulting in fast-pacing of tasks," said a Raj Niwas official.

He added, "The LG on Saturday inspected the construction of the culvert beneath the railway track and also visited the site at Dwarka Sector 8 and directed officials to enhance the manpower and other resources to complete the drainage work at the earliest."

Another official said the existing two drains at IGIA had proven insufficient for discharging the huge amount of rainwater from the airport, which had often resulted in severe waterlogging in and around the terminals and the runway during heavy rain, leading to disruption and cancellation of flights and inconvenience to passengers. "Heavy waterlogging even forced closure of the airport on several occasions. This also caused flooding in the adjoining Dwarka Sector 8, which houses several prominent government organisations. The residents of the area had also complained about waterlogging to the LG," the official said.

DDA is also creating five waterbodies in Dwarka to store the overflowing rainwater during the monsoon. The waterbodies, with a total storage capacity of 1.22 lakh cubic metres, will prevent the rainwater from flooding onto the streets.

Saxena said the construction of the airport drain, along with the waterbodies, would be a big relief to the air travellers as well as Dwarka residents.

The 20-metre-wide and 2-foot-deep airport drain will be capable of discharging 70 cubic metres of water per second during the peak rain. It will start from inside the airport premises and finally connect to Najafgarh Drain.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME O. दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2023 ----------DATED----------

डिजिटलीकरण की ओर बढ़ा डीडीए, आनलाइन मिलेंगी ज्यादातर सेवाएं

- कुछ पहल में विभिन्न एप्लिकेशन शुरू किए, आनलाइन ही होगा क्रियान्वयन
- भूमि रिकार्ड के प्रबंधन को डिजिटाइज करने के लिए विशेष साफ्टवेयर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : पूर्ण डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अब ज्यादातर सेवाएं आनलाइन मिल सकेंगी। डीडीए ने हाल ही में शुरू की गई कुछ पहल में विभिन्न एप्लिकेशन शुरू किए हैं। इनमें हाउसिंग के लिए आवास एप, भूमि निपटान के लिए भूमि एप, कोर्ट केस मैनेजमेंट के लिए पूर्वाकिल एप, शिकायतों की जांच के लिए डीडीए 311 और शिकायत प्रबंधन के लिए एसटीएफ एप शामिल हैं। इन्हें पूरी तरह से आनलाइन ही क्रियान्वित किया गया है।

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के लगभग 240 गांवों के भूमि रिकार्ड के प्रबंधन और मानचित्रों को डिजिटाइज करने के लिए एक विशेष साफ्टवेयर एलआईएमएस विकसित किया गया है। इसमें आनलाइन डैमेज कलेक्शन, आनलाइन डिमोलिशन प्रोग्राम मैनेजमेंट इत्यादि शामिल हैं। किसी आवंटित प्लाट को भूमि पर वास्तविक रूप से इंगित करने के लिए दिल्ली के लेआउट प्लान को जीयो-मैप्स-जीयो पोर्टल के अंतर्गत डिजिटाइज किया गया है। डीडीए भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने और इसके नियंत्रण के लिए प्राधिकरण के लगभग 3000 खाली भूखंडों को डिजिटाइज किया है और मैपिंग करने के लिए इसरो को सौंप दिया गया है। पर्याप्त जानकारी के साथ डीडीए की एक नई वेबसाइट शुरू की गई है, जो जनता के लिए उपयोगी होगी। यह वेबसाइट विकेंद्रीकृत है और संबंधित विभाग नियमित रूप से अपनी सामग्री अपलोड कर रहे हैं। इससे जनता को किफायती आवास और अन्य स्कीमों के लिए प्राधिकरण से संबंधित वर्तमान और आगामी लांच के बारे में सूचना में सहायता मिलेगी।

15000 फाइलों को किया आनलाइन : डीडीए ने छह लाख फाइलों को डिजिटाइज किया है और कंप्यूट्रीकृत रिकार्ड रूम स्थापित किया गया है, ताकि इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। डीडीए ने विभिन्न अन्य ई-गवर्नेंस पहल शुरू की हैं। ई-आफिस, ई-एचआरएमएस और एनआइसी, केंद्र की ई-मेल सेवाएं आनलाइन फाइलों और कागजों की आवाजाही के लिए क्रियान्वित की गई हैं। रोजमर्रा के कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए कर्मियों के डिजिटल हस्ताक्षर से उन्हें क्रियान्वित किया गया है। अब तक 15000 फाइलों को आनलाइन कर दिया गया है।

विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट

- आनलाइन यूजर-फ्रेंडली जन शिकायत निवारण, लेखा विभाग का इन-डेप्थ आटोमेशन, नवीनतम बायो-मेट्रिक उपस्थिति और खेल परिसर गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण।
- शिकायत निवारण के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए संभावनाए तलाश करना और जनता की शिकायतों के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया का विश्लेषण करना, ताकि उनकी शिकायतों का विधिवत निवारण हो सके।
- डाटा की सुरक्षा और सरक्षण के लिए एनआइसी के सर्वर पर आटोमेशन गतिविधियों के सभी डाटा को डालना।
- डीडीए के सभी सुदूर कार्यालयों को लीज लाइनों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ताकि यहा बिना गतिरोध और एकीकृत कार्य हो सकें।
- सभी दस्तावेजों को आनलाइन जारी करने और रिकार्ड को बनाए रखने के लिए डीजी लाकर के साथ एकीकृत करना।

दैनिक जागरण
रविवार, 19 फरवरी, 2023

आइजीआइ ड्रेन का एलजी ने पांचवीं बार किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : आइजीआइ क्षेत्र में निर्माणाधीन ड्रेनेज सिस्टम का एलजी वीके सक्सेना ने पांचवीं बार निरीक्षण किया। उन्होंने इस परियोजना को 30 जून तक हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया। समय पर परियोजना के पूरा होने से जी-20 समिट के दौरान आने वाले विदेशी मेहमानों को भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। आइजीआइ क्षेत्र से वर्षा जल का नजफगढ़ नाले तक पहुंचाने के प्रयास के तहत चैनल का निर्माण कराया जा रहा है। इससे वर्षा के दौरान आइजीआइ ड्रेन से प्रति सेकेंड निकलने वाले 70 क्यूबिक मीटर जल को नाले में छोड़ा जा सकेगा।

वर्षा का जल इस चैनल के माध्यम से एयरपोर्ट परिसर, रेलवे ट्रैक, सेक्टर आठ द्वारका, डीडीए ट्रंक ड्रेन से होते हुए नजफगढ़ नाले में गिरेगा।

ड्रेन का निरीक्षण करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना • सौ. राजभवन

इस परियोजना पर निर्माण कार्य नवंबर 2022 से चल चल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलने से यहां पर निर्माण कार्य दो साल से रुका रहा। शनिवार को उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने रेलवे ट्रैक के निर्माण का भी निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने को भी कहा।

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, रविवार, 19 फरवरी 2023

एयरपोर्ट नाला जून तक तैयार होने की उम्मीद

- हवाई अड्डे के आसपास जलभराव दूर हो सकेगा
- उपराज्यपाल ने पांचवीं बार निरीक्षण किया

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली एयरपोर्ट और द्वारका में होने वाली जलभराव की समस्या जल्द खत्म हो जाएगी। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार किए जा रहे एयरपोर्ट नाले का काम जून तक पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए शनिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहुंचे। उन्होंने मानसून से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए।

एयरपोर्ट नाला हवाई अड्डे से नजफगढ़ नाले तक बारिश के पानी को पहुंचाएगा। यह प्रमुख परियोजना बीते दो वर्षों से केवल इस वजह से लटकी थी कि यहां से पेड़ काटने या स्थानांतरित करने की अनुमति दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दी जा रही थी। उपराज्यपाल के हस्तक्षेप अनुमति दी गई। काम पूरा होने के बाद हवाई यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 20 फरवरी 2023

महरौली में DDA की कार्रवाई को लेकर लामबंद हो रहे लोग

■ राम त्रिपाठी, महरौली

डीडीए की तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर प्रभावित लोगों के साथ महरौली और उसके आसपास के लोग और संगठन लामबंद हो गए हैं। एलजी और डीडीए को भेजे गए अपने पत्रों में वे डीडीए बाउंड्री के अंदर बने निर्माणों को फॉरेस्ट एरिया से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे तीन सवाल भी कर रहे हैं कि आधी-अधूरी डिमार्केशन के तहत हुई कार्रवाई का जिम्मेदार कौन होगा? अगर 30-40 साल पहले बनी संपत्तियों को अब अवैध बताया जा रहा है, तो उसे बसाने में सहयोग करने वाले डीडीए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तीसरा सवाल यह है कि बाउंड्री के अंदर बने घरों और अन्य निर्माणों में हुई तोड़फोड़ की भरपाई कौन करेगा?

एलजी और डीडीए को भेजे पत्रों में बाउंड्री के अंदर बने निर्माणों को फॉरेस्ट एरिया से बाहर रखने की कर रहे हैं मांग

प्रभावित लोगों का आरोप है कि पुरानी डिमार्केशन में डीडीए बाउंड्री के अंदर बनी संपत्तियां शामिल नहीं थीं। एक साल पहले हुई डिमार्केशन में उन्हें जोड़ गया है, जो गलत है। सरकार खुद इस गलती को मानती है। फ्लैट या वहां जमीन खरीदने वाला आम व्यक्ति उस सौदे को गलत कैसे माने, क्योंकि इतने सालों से रजिस्ट्री हो रही है। सरकार रेवेन्यू वसूल रही है। बैंक उस प्रॉपर्टी पर लोन दे रहे हैं। प्रभावित लोगों के साथ जुड़ी महरौली की विभिन्न आरडब्ल्यूए और संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए चेतावनी दी है कि दोबारा इस प्रकार की मनमानी हुई, तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है।

क्या कहते हैं लोग

रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अब दोबारा डिमार्केशन के लिए डीडीए की बाउंड्री का ध्यान रखना होगा। बाउंड्री के बाहर के एरिया को फॉरेस्ट एरिया में शामिल करें। 1947 के आधार पर डिमार्केशन होगा, तो स्मारक और जंगल के साथ महरौली में 50-100 प्रॉपर्टी ही दर्ज की जाएगी। डिमार्केशन में सुधार हो।
- ज्योति डंगवाल

हमारे बाप-दादा से 30-40 साल पहले जमीन की रजिस्ट्री का रेवेन्यू वसूला गया है। हाउस टैक्स दे रहे हैं। फिर हमारे घर अवैध कैसे? हमारे साथ धोखा हुआ है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो।
- मनमोहन मल्होत्रा

अवैध कब्जे थे, तो डीडीए उसी समय कार्रवाई करता तो इतने बड़े स्तर पर अपार्टमेंट्स नहीं बनते। छोटे फ्लैट खरीदने वाले लोग निम्न-मध्यम वर्ग के लोग हैं। उनके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। *- संदीप बाली*

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2023 DATED

महरौली में छलका विस्थापितों का दर्द, एक बार फिर हुए बेघर

महरौली में डीडीए के बुलडोजर से विस्थापितों के मकान जमींदोज ● जागरण

रमेश मिश्र ● दक्षिणी दिल्ली

- डीडीए के बुलडोजर से विस्थापितों के मकान हुए जमींदोज
- महरौली के पते के सरकारी दस्तावेज को डीडीए ने किया खारिज

डीडीए का हथौड़ा पिछले मंगलवार को महरौली के उस इलाके में चला, जहां विस्थापितों की बड़ी आबादी रहती है। पाकिस्तान से आया विस्थापितों का एक बड़ा काफिला देश की आजादी के बाद यहां आकर बस गया था। डीडीए के बुलडोजर ने कई विस्थापितों के मकान जमींदोज कर दिए हैं। उनके घर के पते पर बने आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहां रहने के तमाम शिनाख्ती सुबूत सरकारी अमले ने मानने से इन्कार कर दिया है, हालांकि विस्थापितों को हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने इस पूरे विवाद पर डीडीए से 23 फरवरी तक एफिडेविट जमा करने को कहा है। अब यह देखना है कि डीडीए अदालत में क्या दलील पेश करता है? खासकर तब जब राजस्व विभाग ने यह मान लिया है कि डिमार्केशन में ही गड़बड़ी हुई।

महरौली गांव निवासी डा. श्याम पासी का कहना है कि महरौली में करीब एक चौथाई आबादी इन विस्थापितों की है। बंटवारे के बाद कई लोग इस इलाके को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान गए लोगों की भूमि का कोई वारिस नहीं था। ये अवैध भूमि थी। दिल्ली में शहरीकरण और विस्तार के पहले राजस्व विभाग द्वारा इसे नीलाम कर दिया गया और इस पर कस्टोडियन का कब्जा हुआ।

अधिकांश लोग पाकिस्तान के मुल्तान से आए: अधिकांश विस्थापित पाकिस्तान के मुल्तान में डेरा स्माइल खान से आए हैं। अधिकांश लोग मुल्तानी हैं और आर्य समाज के अनुयायी हैं।

यहां आने के बाद इन लोगों ने एक मंदिर की स्थापना की और इसका नाम डेरा आर्य समाज रखा। इनकी एक धर्मशाला भी है। इसका नाम भी डेरा वाल धर्मशाला है। ये मुल्तानी पूरे महरौली में फैले हुए हैं। महरौली में 95 वर्षीय मदन मुखी और 84 वर्षीय वीरभान खेड़ा आज भी इस पूरी घटना के साक्षी हैं।

रोजी-रोटी के लिए कई लोगों ने बदला ठिकाना

महरौली में ऐसा ही एक परिवार इंद्रपाल सिंह उर्फ सोनू का है। उनका दावा है कि उनका परिवार इस गांव में करीब छह दशक से रह रहा है। डीडीए के बुलडोजर ने उनका मकान ढहा दिया है। परिवार ने गुरुद्वारों में शरण ले रखी है। यह हाल केवल इंद्रपाल सिंह का नहीं है, बल्कि अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे इस अभियान के बाद कई परिवार आज सड़क पर आ गए हैं। इन विस्थापित परिवारों के लिए महरौली इनकी पहचान बन चुका था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, FEBRUARY 20, 2023 ----------DATED----------

Key SW Delhi stretch to be taken up for repair

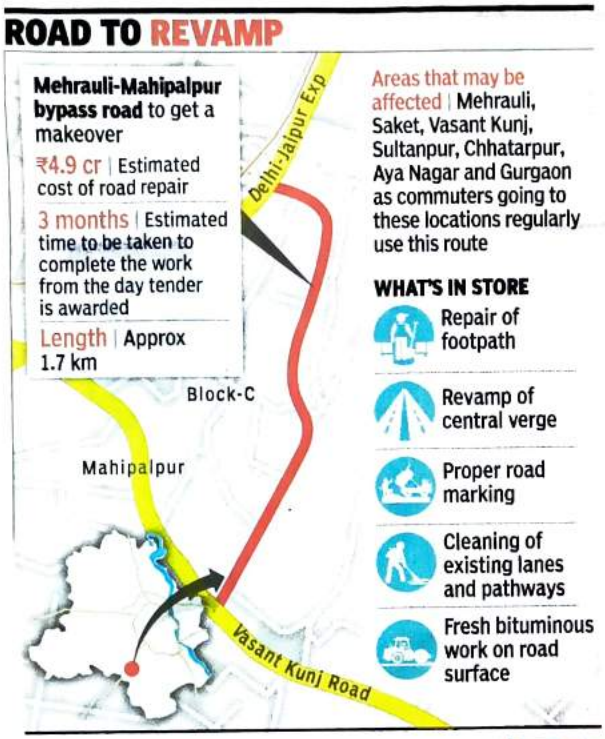

Siddhanta.Mishra
@timesgroup.com

New Delhi: The Public Works Department (PWD) is going to carry out extensive repair work on the Mehrauli-Mahipalpur bypass road, which connects key areas in south and southwest Delhi and also leads to the airport.

This six-lane road — passing through a market area, with schools, gas stations and several commercial establishments on its either side — remains highly congested due to the heavy load of vehicles coming from Gurgaon to Delhi. The condition of the road is also poor. With commercial vehicles parked on both sides of the road, the traffic is further slowed down.

PWD will also take up the repair of footpath, road painting and other works, which will help reduce congestion on the road.

The 1.67km stretch in southwest Delhi starts from CRPF camp and ends at NH8 underpass. It was originally constructed by the Delhi Development Authority, but is now under the jurisdiction of PWD.

PWD has floated a tender to repair the road in the next three months, where it will also fix the broken footpath, so that the pedestrians do not have to use the main road. Concrete tiles for the visually impaired and redevelopment of the central verge will be taken up under this project of road strengthening.

To ensure that no inconvenience is caused to the commuters, PWD has stated that the contractor will take the responsibility of working out the traffic management plan with the police

According to PWD officials, the project includes the maintenance and upkeep of pavements, central verges and service lanes of the entire road stretch, including other allied works, such as lane marking, whitewashing of parapet walls, painting of kerb stones and other things.

To ensure that no inconvenience is caused to the commuters when the work is under way, the department has stated that the contractor will take the responsibility of working out the traffic management plan with the police and all the standards of safety and security will be followed. The project will also include the development of facilities, such as plantation on central verges and roadsides and maintenance of streetlights, wherever required.

Last month, chief minister Arvind Kejriwal had announced that 1,400 km of roads in the capital will be strengthened, aesthetically beautified and made commuter-friendly. PWD has jurisdiction only on roads wider than 45ft across the capital.

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 20 फरवरी 2023

DDA को देना होगा पीड़ित को प्लॉट : HC

HC ने सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त किया, पीड़ित ने दी थी याचिका

Prachi.Yadav@timesgroup.com

डीडीए की रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम, 1981 के तहत प्लॉट पाने के लिए लगभग चार दशकों से इंतजार कर रहे एक शख्स की अपील दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। याचिकाकर्ता का आवंटन रद्द करने वाले सिंगल बेंच के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया और उसे रोहिणी में प्लॉट या वैकल्पिक फ्लैट देने का डीडीए को निर्देश दिया है।

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि डीडीए अपनी जिम्मेदार एक निर्धारित समयसीमा में पूरी करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने कहा कि डीडीए कोई ठोस कारण नहीं बता पाया कि क्यों

1981 की योजना के तहत प्लॉट आवंटन में 23 सालों की देरी की ठोस वजह नहीं दे पाया डीडीए

उसने रोहिणी स्कीम के तहत प्लॉटों का आवंटन 1986 के बहुत बाद में शुरू किया। डीडीए की ओर से इतनी ज्यादा देरी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि वह अपीलकर्ता के कदम को महज इस आधार पर नहीं ठुकरा सकता कि उसने अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना गलत और न्याय के विरुद्ध होगा।

नरेंद्र कुमार वाधवा ने यह अपील सिंगल बेंच के 16 दिसंबर 2019 के फैसले के खिलाफ दायर की थी। सिंगल बेंच ने प्लॉट के आवंटन को रद्द करने वाले डीडीए के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। अपीलकर्ता का कहना था कि उन्हें 2005 में डीडीए ने रोहिणी में एक प्लॉट आवंटित किया था। बाद में उसे इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि उन्होंने पीतमपुरा 180 वर्ग मीटर का एक दूसरा प्लॉट होने की बात छिपाई। वाधवा ने कैंसिलेशन ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती दी। दावा किया कि उन्होंने डीडीए से प्लॉट मिलने का 23 सालों तक इंतजार किया। उसके बाद उन्हें मजबूरन ओपन मार्केट से प्लॉट लेना पड़ा। हालांकि, डीडीए से प्लॉट के आवंटन से पहले ही उस प्लॉट को बेच दिया था। कोर्ट ने कहा कि डीडीए 1981 में यह योजना लेकर आया था और 5 साल के भीतर प्लॉट के आवंटन का भरोसा दिया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, FEBRUARY 20, 2023

Through roofs, in drawing rooms: Delhi electric poles lose out to encroachment

GAYATHRI MANI
NEW DELHI, FEBRUARY 19

Gajendra Yadav

An electric pole juts through a roof in Ranjeet Nagar; (right) one inside a shop in Budha Nagar.

ENCROACHMENT IN the national capital is nothing new. But Delhi's three discoms are now facing a new problem – residents have been extending their houses around electricity poles or using concrete power poles as support pillars. The rules of Central Electricity Authority (CEA), a statutory body that formulates plans on electricity systems for the government, state that houses should maintain a distance of 2.5-3.7 metres in height and 1.2-2 metres in width based on voltage levels from an electricity pole.

Between 2019 and 2021, the three discoms, which distribute electricity to consumers in the capital, issued over 90,000 notices to residents, asking them to take corrective action. North Delhi comes under Tata Power Delhi Distribution Limited, while South and Trans-Yamuna areas fall under the jurisdiction of BSES Rajdhani Power Ltd and BSES Yamuna Power Ltd, respectively.

According to data shared by sources in the discoms, 54 people, including children, died and 250 sustained burns due to electrocution between 2015 and 2022. Over 500 accidents, including fires, have been reported over the past few years due to encroachments.

To ascertain the situation on the ground, *The Indian Express* visited several areas where homeowners had received notices.

In Budha Nagar in Southwest Delhi's Inderpuri, a densely populated and congested jhuggi-jhopri (JJ) or slum cluster, most

CONTINUED ON PAGE 4

• Through roofs, in drawing rooms: Delhi electric poles lose out to encroachment

houses are four storeys high. Some residents here have extended their houses in a way that electricity poles have merged with their balconies, while others have turned concrete electricity pillars into support pillars for their modified structures.

In some blocks, electricity poles go through terraces and high-voltage wires double up as clothes lines. In one house, the power pole sat inside the drawing room. In another instance, an electricity pole in the middle of a shop was camouflaged in pink to merge with its surroundings in what seemed like an attempt to escape action.

When questioned about the pole, the shopkeeper remarked, "These poles are a problem. The authorities should remove them from our houses."

An official with the street light maintenance division said, "Such encroachments are common in resettlement colonies. About 25 square feet were given to each family earlier but they have extended their houses by 8-10 metres, encroaching on entire streets."

About 5-6 km away in East Patel Nagar's Ranjeet Nagar, one of the well-off areas in Central Delhi, similar violations can be spotted. A jewellery shop owner has extended his four-storey building using the electricity pole as a support pillar. To escape action, he has covered the pillar with a wooden cover to match the shop's facade. In one house, a concrete electricity pillar passes through the kitchen and terrace. The residents have kept stoves and cylinders near the pole.

Similar visuals can be seen across North Delhi's upscale Kamla Nagar, Model Town, Mukherjee Nagar, Civil Lines and Shakti Nagar, home to paying guest (PG) accommodations for Delhi University students. Discoms have also posted notices on several houses here for illegal constructions close to electricity poles.

A pole goes through a balcony in Budha Nagar; (right) a house in Rohini. Gajendra Yadav

A discom official said, "We cannot take action against such encroachments. We can only issue notices and inform the sub-divisional magistrate (SDM) and the authorities concerned like the Municipal Corporation of Delhi (MCD), etc. Maintenance of street lights and electricity poles becomes a problem due to such violations because civic authorities allow residents to extend their properties despite proximity to electricity poles."

The problem also persists in Rohini, which falls under the Delhi Development Authority (DDA). In Rohini's Sector 11, janta flats have been modified to the extent that they have two extra rooms now. In one of the houses, bare conductor wires pass through a hole in the wall of the house and balcony. To avoid electrocution, the residents have simply covered the naked wires with plastic PVC pipes.

A discom official cautioned, "This is highly risky... These are high-voltage power lines."

Officials said such encroachments lead to tripping, make it difficult to maintain the network and increase the time taken to fix faults. Discom enforcement teams checking for irregularities in unauthorised areas, which have a higher incidence of power theft, are at times gheraoed and not allowed to check premises for violations.

In South Delhi colonies like Lajpat Nagar, Amar Colony, Sant Nagar, Zamrudpur and Dayanand Colony, residence balconies almost touch transformer fuses. In unauthorised neighbourhoods like Shaheen Bagh, Sangam Vihar, Aya Nagar, Karawal Nagar and Nand Nagri, residents have not only encroached and covered electricity poles but also removed and damaged them.

The Union Ministry of Housing Urban Affairs (MoHUA) had in 2018 constituted a special task force, comprising the DDA vice-chairperson and officials from MCD, Public Works Department (PWD), Delhi Jal Board (DJB), etc., to monitor violations of building by-laws. The discoms claimed they have uploaded notices along with photographs of violations on the task force's website but no concrete action seems to have been taken on ground.

A DDA spokesperson said, "The entire Rohini zone has already been de-notified and building activities fall under the MCD. Unauthorised colonies do not fall under the jurisdiction of the DDA."

The MCD, which manages streets that are less than 45 feet wide, did not respond to multiple calls and messages seeking a comment on the issue.

Explaining the process for taking action against violators, officials said that in case of clearance requirement violations, a notice (along with photographs) is issued to the offender and also forwarded to the discom's unauthorised construction control group (UCCG). The UCCG then submits a complaint to the police station, MCD, DDA, the electrical inspector concerned, etc. After receiving the acknowledgment receipts from the authorities, the receipts and a complaint are filed by the UCCG in the court of the area SDM. The SDM court then issues a conditional order under Section 68(5) (removal of structure or trees placed or fallen next to overhead lines) of the Indian Electricity Act, 2003, and Section 133 (conditional order for removal of any nuisance) of the Code of Criminal Procedure. In case of non-compliance, the SDM court issues an absolute order for action by land-owning agencies for removal of unauthorised construction.

"Most of these cases go to court and drag on for years. Blame game and multiplicity of agencies add to the problem. When a house is constructed, permission is required from agencies and authorities like the SDM, MCD, police and fire services. Construction cannot take place without permission but people have elevated their houses and encroached on the main roads," said a senior official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU – Saturday, February 18, 2023
DELHI

DATED

NGT fines Delhi govt. ₹2,232 crore for poor waste management

Tribunal also forms panel led by L-G to monitor waste management; it had earlier imposed ₹900-cr. fine on Delhi for 3 crore tonnes of waste

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The National Green Tribunal (NGT) has imposed a fine of ₹2,232 crore on the Delhi government for damage caused to the environment due to improper solid and liquid waste management.

It has also constituted a panel under Lieutenant-Governor V.K. Saxena to monitor the Capital's solid waste management.

In its order on Thursday, a Bench headed by NGT chairperson Justice Adarsh Kumar Goel asked the Delhi government to pay the fine within a month and credit it to a ring-fenced account from which funds would be withdrawn only for waste management.

Leader of the Opposition in the Assembly Ramvir Singh Bidhuri demanded that the amount be recovered from AAP instead of the Delhi government.

Mr. Bidhuri said Delhi's taxpayers should not have to bear this fine.

In October, the NGT had imposed an environmental compensation of ₹900 crore on the National Capital Territory for three crore tonnes of undisposed waste in the city's three landfills.

The NGT had asked the Chief Secretary to deposit the money, adding that the fine could be collected from errant officials and polluters.

"On the pattern of the compensation awarded in respect of other States (at the rate of ₹2 crore per million litres per day of untreated sewage and ₹300 per tonne of untreated legacy waste), compensation of ₹3,132 crore is liable to be levied on Delhi govt. Deducting the compensation for solid waste already levied on the Delhi government [₹900 crore], the remaining amount of ₹2,232 crore has to be paid by the Delhi government on the 'polluter pays' principle," the NGT order read.

The tribunal noted that the waste management-related data provided by the Delhi government was 'incomplete'. FILE PHOTO

The Bench also noted that the data provided by the Delhi government on solid and liquid waste management was "incomplete".

High-level committee

It said as the situation of non-compliance with the municipal solid waste (MSW) rules remained "untackled" despite monitoring by the Supreme Court for 18 years and by the tribunal for around nine years, the monitoring will now have to be done at the "highest level of the Delhi government".

The tribunal added that this committee, like the Yamuna Monitoring Committee, needed defined targets and accountability.

"Accordingly, we constitute a Solid Waste Monitoring Committee to be led by the Lieutenant-Governor of Delhi," it added.

The committee has been tasked with dealing issues related to solid waste management, including setting up new waste processing facilities, augmenting existing waste processing facilities and reducing legacy waste.

Chief Secretary Naresh Kumar will be the convener of this committee, led by Mr. Saxena.

Other members of this committee include the Secretaries of various Delhi government and central ministries, the DDA Vice-Chairperson, the Director General of the Forest Department, the Central Pollution Control Board (CPCB) Chairperson, the Municipal Corporation of Delhi (MCD) Commissioner, District Magistrates and Deputy Commissioners of Police.

Reacting to the green tribunal's observations, Delhi BJP working president Virendra Sachdeva said there was an "emergency-like situation" in the city regarding waste management.

When contacted, the Delhi government did not offer a response.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- अमर उजाला ---- शनिवार, 18 फरवरी 2023

ठोस अपशिष्ट निगरानी के लिए समिति गठित

गाजीपुर, भलस्वा व ओखला लैंडफिल साइट से खत्म होंगे कचरे के पहाड़

अमर उजाला ब्यूरो

यमुना के बाद उपराज्यपाल के नेतृत्व में गठित समिति को सौंपा कचरे की सफाई का जिम्मा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति का गठन किया है। उपराज्यपाल की देखरेख में भलस्वा, गाजीपुर और ओखला से करीब 30 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरे का निपटान किया गया। इसे देखते हुए एनजीटी ने कचरे की तीनों पहाड़ियों को समतल करने की जिम्मेदारी समिति को सौंपी है। इससे पहले यमुना की सफाई के लिए एलजी की अध्यक्षता में प्राधिकरण ने एक समिति गठित की है।

पदभार संभालने के बाद से उपराज्यपाल ने तीनों लैंडफिल साइट पर इकट्ठा कचरे का निपटान करने की दिशा में पहल की। तीनों साइट से हर माह करीब 6.5 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरे का निपटारा किया जाता है। वर्ष 2019 से जून-22 के दौरान हर माह 1.4 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे (लिगेसी वेस्ट) का निपटान किया जा रहा है। अब तक 51 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरे का निपटान किया गया है। वहीं, एनजीटी ने 16 फरवरी को जारी आदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 व अन्य पर्यावरण मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के 2014 और 2017 की तरफ से इस संदर्भ में जारी आदेशों के अनुपालन के लिए किए गए प्रयासों पर गहरा असंतोष जताया है। पिछले 18 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और नौ वर्षों से प्राधिकरण के प्रयासों के बावजूद दिल्ली में कचरे के तीन पहाड़ों की समस्या को नहीं सुलझाया गया। एनजीटी ने नई समिति की तरफ से जवाबदेही तय करने और यमुना निगरानी समिति की तर्ज पर निगरानी के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित दूसरी एजेंसियों को शामिल किया है।

समिति कॉरपोरेट से बातचीत में सक्षम

एनजीटी ने आदेश में कहा है कि समिति को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रसंस्करण, मौजूदा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार सहित पुराने अपशिष्ट स्थलों में बदलाव करने के अलावा संबंधित विभागों के साथ समन्वय का अधिकार होगा। साप्ताहिक बैठक या मौके का जायजा लेने के लिए भी समिति को सक्षम बताया गया है। एनजीटी के निर्देशों के पालन, उल्लंघन, प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई, कानूनी अनुपालन फंडिंग, पर्यावरण मुआवजे का उपयोग, पिछली विफलताओं के लिए जवाबदेही तय करने सहित परियोजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के निष्पादन में समय-सीमा सहित दूसरे पहलुओं को देखने का समिति को अधिकार होगा। समिति को वित्त पोषण, अलग समर्पित खाता खोलने पर विचार करने या विशेषज्ञों को शामिल करने, वेबसाइट बनाने सहित दूसरे अधिकार भी दिए गए हैं।

सीएस होंगे संयोजक

एलजी के नेतृत्व में गठित समिति में संयोजक के तौर पर दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे, जबकि शहरी विकास, वन एवं पर्यावरण, कृषि, और वित्त सचिव सहित डीडीए के उपाध्यक्ष, डीडीए सहित सचिव सहित दूसरे अधिकारी सहित नामित सदस्यों के अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, निगम के आयुक्त, न्यायिक जिला मजिस्ट्रेट और डीसीपी भी शामिल होंगे। समिति को ठोस अपशिष्ट के आंकड़ों का संकलन करने और ग्राफ तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

पंजाब केसरी ▸ 20 फरवरी, 2023 ▸

जेलरवाला बाग के ईडब्ल्यूएस फ्लैट मार्च तक हो जाएंगे तैयार

● कठपुतली कालोनी प्रोजेक्ट के फ्लैटों का आवंटन भी दिसंबर तक होने की उम्मीद

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): इन-सीटू स्लम पुनर्वास यानी 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत दिल्ली में गरीबों को फ्लैट आवंटन की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी है। इसकी वजह यह है कि कालकाजी के बाद जेलरवाला बाग के ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी मार्च तक तैयार हो जाएंगे। डीडीए के महत्वपूर्ण कठपुतली कॉलोनी प्रोजेक्ट के फ्लैटों का आवंटन भी दिसंबर तक हो जाने की उम्मीद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा कालकाजी में इन-सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत 3074 मकान बन चुके हैं। इन मकानों के आवंटन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद डीडीए ने इनमें से 575 लोगों को गत नवंबर माह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों चाबियां दिलवाई थीं। शेष बचे लोगों को भी फ्लैट आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में नया अपडेट यह है कि जेलरवाला बाग, अशोक विहार में बन रहे 1675 फ्लैट भी मार्च माह तक बनकर तैयार हो जाएंगे। यहां पर फ्लैट की कीमत एक लाख 71 हजार रुपये तय की गई है। इसके साथ 30 हजार रुपये पांच वर्ष के रखरखाव शुल्क के रूप में देने होंगे। फ्लैटों का आवंटन ड्रा के माध्यम से होगा। पात्र परिवारों को फ्लैट आवंटित करने के बाद वहां खाली पड़ी तकरीबन 11,129 वर्ग मीटर जमीन की नीलामी भी की जाएगी।

गौरतलब है कि विभिन्न आय वर्गों के लिए आवासीय योजनाएं लाने के साथ- साथ डीडीए इन सीटू डेवलपमेंट के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाने पर भी फोकस कर रहा है। इसी दिशा में लगभग 5,200 फ्लैट बनकर तैयार होने वाले हैं जबकि 2,300 फ्लैट करीब करीब तैयार हैं। इसके अलावा 25 हजार से अधिक फ्लैटों का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू हो जाने की संभावना है। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक कठपुतली कॉलोनी के 2800 फ्लैटों का आवंटन भी इसी वर्ष दिसंबर तक कर दिए जाने की संभावना है। इनके अलावा दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग, हैदरपुर एवं रोहिणी के अलग -अलग सेक्टरों की 10 झुग्गी बस्तियों में भी जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यहां 10,337 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए जाएंगे। वहीं 15,086 ईडब्लूएस फ्लैट के लिए कालकाजी एक्सटेंशन, कुसुमपुर पहाड़ी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में आठ स्लम के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन सीटू डेवलपमेंट के तहत स्लम क्लस्टरों में रहने वाले लोगों के लिए वहीं पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जहां वे झुग्गी में रहते हैं। यह फ्लैट पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) माडल के तहत डीडीए की निगरानी में प्राइवेट बिल्डर बना रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | SATURDAY | FEBRUARY 18, 2023

DATED

NGT orders Govt to pay ₹2K cr for improper solid-liquid waste mgmt

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The National Green Tribunal (NGT) has directed the Delhi Government to pay Rs 2,232 crore as environmental compensation for improper management of solid and liquid waste.

A Bench headed by NGT chairperson Justice AK Goel said there were gaps in the management of solid and liquid waste in Delhi.

"On the pattern of compensation awarded in respect of other States (at the rate of Rs 2 crore per million litres per day (MLD) of untreated sewage and Rs 300 per tonne of untreated legacy waste), compensation of Rs 3,132 crore is liable to be levied on the Delhi Government — Rs 990 crore for solid waste and Rs 2,142 crore for solid waste," the Bench, also comprising judicial members Justice Sudhir Agarwal and Justice Arun Kumar Tyagi along with expert members A Senthil Vel and Afroz Ahmad, said.

Deducting the compensation for solid waste already levied (Rs 900 crore), the remaining amount of Rs 2,232 crore has to be paid by the city Government on the 'polluter pays' principle, the Bench said. The amount has to be used for tackling the 'emergent situation prevailing in Delhi, posing danger to the safety of the citizens," and for remedying the continuing damage to the environment, the Bench added. "This payment will be the responsibility of the Chief Secretary, Delhi and the payment be made within one month and credited to a separate ring-fenced account," it said.

After the NGT order, the BJP and the Congress demanded that the penalty amount should be recovered from the AAP and not from the tax payers, as it was due to the incompetence and inaction of CM Kejriwal that the Yamuna water has become dangerously toxic.

BJP leaders Ramvir Singh Bidhuri , who is leader of the opposition in Delhi assembly and Delhi unit working president Virendra Sachdeva held Kejriwal government responsible for NGT slapping a fine of Rs 2232 crore on Delhi government. "The Kejriwal government wasted thousands of crores of Yamuna cleaning money for its publicity and to brighten its face and now the people of Delhi will have to bear this fine of Rs. 6100 crores," Bidhuri said.

Delhi Congress president Anil Kumar said that the Kejriwal Government has squandered over Rs 5500 crore in the name of Yamuna cleaning, but it was yet another scam as the money went into the pockets of Kejriwal like all his other projects, his Ministers and his friends instead of using the money for cleaning the Yamuna.

The tribunal had, in October last year, directed the Delhi government to pay Rs 900 crore as environmental compensation, following which the authorities concerned had filed a review petition.

"The issue of emergency situation of failure to tackle legacy waste as per the Solid Waste Management Rules, 2016 was earlier considered by this tribunal...Whereby liability for compensation for failure to scientifically handle solid waste was determined at Rs 900 crore, which does not appear to have been paid so far as review applications have been filed, which are being disposed of by separate orders today," the NGT said.

"The amount may now be paid with the additional amount of Rs 2,232 crore," the tribunal said.

NGT constitutes Solid Waste Monitoring Committee to be headed by Saxena

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The National Green Tribunal (NGT) has constituted a Solid Waste Monitoring Committee to be headed by Delhi Lieutenant Governor VK Saxena on the pattern of the High Level Yamuna Monitoring Committee.

"We are of the view that in the given situation when emergent situation remains untackled after monitoring at the level of Hon'ble Supreme Court for 18 years and at the level of this Tribunal for the last nine years, monitoring should now be at the highest level of Administration in Delhi with inclusion of all other concerned authorities — including Delhi Government, Municipal Corporation, DDA with strong monitoring mechanism envisaging weekly review with defined targets and accountability on the pattern of Yamuna monitoring Committee," the NGT said in its order.

"Accordingly, we constitute Solid Waste Monitoring Committee to be headed by the Lt Governor of Delhi. Other members of the Committee will be Chief Secretary, Delhi, who will act as Convener, Secretaries, Urban Development, Forest and Environment, Agriculture, and Finance, Delhi Government, Vice Chairman, DDA, Secretary or his nominee (not below the rank of Additional Secretary), Ministry of Agriculture, GoI, D.G. Forest or his nominee (not below the rank of DDG), MoEF&CC, GoI, Secretary, MoUD or his nominee not below the rank of Additional Secretary, Secretary, MoEF&CC or his nominee not below the rank of Additional Secretary, Chairman CPCB, Commissioner, Municipal Corporation of Delhi and jurisdictional District Magistrates and DCPs", the NGT said.

नई दिल्ली। शनिवार • 18 फरवरी • 2023
राष्ट्रीय सहारा

स्लम बोर्ड ने एक बस्ती का नाम सूची में शामिल कर हटाया क्यों : हाईकोर्ट

यह 400 लोगों के घरों से जुड़ा मामला है, आपको कारण बताना होगा : कोर्ट

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से एक हलफनामा दायर कर पुनर्वासित/अधिसूचित झुग्गी बस्तियों की सूची में महरौली की एक बस्ती को शामिल करने और फिर हटाने का कारण स्पष्ट करने को कहा।

उच्च न्यायालय ने डीयूएसआईबी और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील को 21 फरवरी तक अपना हलफनामा दायर करने का समय दिया। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को भी एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा, 'यह लोगों के 400 घरों से जुड़ा हुआ है। आपको मुझे कारण बताना होगा कि आपने इसे क्यों बाहर किया। आपने पहले इसे शामिल किया और फिर इसे सूची से हटा दिया। मुझे वजहों के साथ विवरण चाहिए।' उच्च न्यायालय महरौली में शोसिया झुग्गी बस्ती द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे अधिकारियों द्वारा हटाया जाना था। अदालत ने कहा कि 400 झुग्गियों के संबंध में यथास्थिति कायम रखने का अधिकारियों को निर्देश देने वाला उसका अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख यानी 28 फरवरी तक बरकरार रहेगा।सुनवाई के दौरान डीयूएसआईबी के वकील ने कहा कि बस्ती पहले सूची में थी, लेकिन अब उसे हटा दिया है। डीडीए के वकील ने साइट की गूगल तस्वीरों के साथ हलफनामा दायर करने को समय दिए जाने का अनुरोध किया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI
18 फरवरी, 2023 ▶ शनिवार
DATED

दिल्ली में पानी बर्बाद तो यह सबसे बड़ा है अपराधः सीएम

1 मुख्यमंत्री ने की दिल्ली के हर घर में नल से साफ पानी सप्लाई को लेकर सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा

2 सरकारी विभाग से बेहतर तालमेल बनाएं ताकि जलापूर्ति बढ़ाने के काम में देरी न होः केजरीवाल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली में कहीं पर भी अगर पानी बर्बाद कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ा अपराध है। यह बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। दरअसल केजरीवाल सरकार दिल्ली के हर घर में नल से साफ पानी सप्लाई को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर नए जल स्रोतों का अवलोकन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हर एसटीपी का व्यवस्थित इस्तेमाल, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए पानी का नया इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जल्द तैयार करने और हर घर तक पानी का कनेक्शन देने संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

केजरीवाल ने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जरूरत के अनुसार क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि अतिरिक्त पानी को ट्रीट किया जा सके। उन्होंने कहा कि पानी का कनेक्शन देने में आने वाले खर्च का सही आंकलन किया जाए। इस पर आने वाला खर्च सरकार देने के लिए तैयार है। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित विभाग आपसी तालमेल बेहतर बनाएं ताकि जलापूर्ति बढ़ाने के काम में कोई देरी ना हो। समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव नरेश कुमार, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत के अनुसार बढ़ाई जाए क्षमता : अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि हम ट्यूबवेल से पानी तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता कम है। इससे भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। केजरीवाल ने अधिकारियों से सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्लान मांगा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का री-साइकल्ड पानी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी पानी बर्बाद कर रहे हैं तो यह अपराध है। हम ट्यूबवेल इसलिए नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उसके पानी को ट्रीट करने की क्षमता नहीं है और उस पानी को नाले में बहा रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा अपराध है।

एक सप्ताह में ट्यूबवेल के लिए कर लेंगे जमीन का चयन

केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ग्राम सभा, जलबोर्ड और डूसिब के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों का समाधान करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को डीडीए से बात कर यथा शीघ्र जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि इस संबंध में एक बैठक हुई है और अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई गई है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि अगले एक सप्ताह में वन विभाग, ग्राम सभा, सिंचाई, डीडीए और डूसिब से समन्वय स्थापित कर ट्यूबवेल के लिए जमीन चिह्नित कर ली जाएगी।

नए कनेक्शन के लिए रखा 688 करोड़ रुपए मांग का प्रस्ताव

दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में हर घर को पानी का नया कनेक्शन देने के लिए दिल्ली सरकार से करीब 688 करोड़ रुपए मांग का प्रस्ताव रखा। इस पर सीएम ने कहा कि जो भी खर्च आएगा, वो दिल्ली सरकार दे देगी, लेकिन इससे पहले कनेक्शन देने का वास्तविक खर्च का आंकलन कर लिया जाए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 688 करोड़ रुपए से दिल्ली में हर घर को पानी का कनेक्शन दे दिया जाएगा। उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में लोगों को जल्द ही हर घर को पर्याप्त पानी मिल सकता है। यहां पर जितना पानी की जरूरत है, उसकी व्यवस्था हो गई है। अनधिकृत कॉलोनियों में 1000 आरओ प्लांट लगाने को लेकर केजरीवाल अधिकारियों को दो-तीन डिजाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अनधिकृत कॉलोनियों में लगेंगे आरओ प्लांट

दिल्ली जल बोर्ड ने अनधिकृत कॉलोनियों और पानी की कमी वाले इलाकों में ट्यूबवेल के साथ 1000 आरओ प्लांट्स स्थापित करने का फैसला किया है। जहां पर पाइपलाइन के जरिए पानी आपूर्ति नहीं हो पाती है या फिर वर्तमान में पानी के टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। ऐसी जगहों पर आरओ प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। आरडब्ल्यूए या निर्वाचित प्रतिनिधियों की मदद से डीयूएसआईबी, डीडीए व अन्य सरकारी एजेंसियों की जमीन पर आरओ प्लांट लगाए जाएंगे।

सार्वजनिक शौचालयों के खराब रखरखाव पर हाईकोर्ट नाराज

अधिकारियों को उचित कदम उठाने का दिया आदेश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने गंदगी और सार्वजनिक शौचालयों के खराब रखरखाव का मुद्दा उठाने वाले एक मामले में शुक्रवार को अधिकारियों से हरसंभव कदम उठाने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने केंद्र, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली छावनी बोर्ड और डिस्कॉम को याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगते हुए। सभी से स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। बेंच ने कहा कि आप इन जगहों की साफ सफाई कराएं और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।

अधिकारियों को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया जाता है। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख मुकर्रर की। जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि सार्वजनिक शौचालयों के खराब रखरखाव के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि अक्सर उचित स्वच्छता का अभाव होता है, जो अस्वच्छ वातावरण का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप संक्रामक रोग हो सकते हैं।

कार्यवाही...

- केंद्र, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, डीडीए, छावनी बोर्ड को जारी किए नोटिस

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
SUNDAY, 19 FEBRUARY, 2023 | NEW DELHI ----------DATED----------

DDA working on e-projects related to grievance redress, biometric attendance

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: From an online user-friendly public grievance redress mechanism to bringing the latest technology in biometric attendance, the DDA is working on a number of projects to give thrust to the government's Digital India initiative.

The possibility of developing applications using artificial intelligence for grievance redress and analysis of social media to find the real cause of public grievance, the Delhi Development Authority (DDA) said in a statement on Saturday.

About six lakh files have been digitised and computerised record rooms setup for fast record and file retrieval, it said.

"To promote Government of India's Digital India initiative for general public to avail services at their own convenience, the DDA has taken various steps to move towards complete digitalisation of its processes," the DDA said.

Some of the recent initiatives include various applications like AWAAS for housing (applicants can complete all formalities for application, payment and possession online), BHOOMI for land disposal (design, development and implementation of online services in the Land Disposal department), Provakil for court case management (to track court proceedings and compliances), DDA-311 (grievance monitoring) and STF (complaints management), it said. These projects have been implemented fully online in a seamless manner.

Computerised Nagric Suvidha Kendras and PMU-DAY Processing Centres have also been established throughout Delhi, the DDA said.

Public-centric activities such as conversion, lease restoration, allotments, bookings, tendering, e-auction, procurement, payments, engineering measurements, grievance redress, visitor appointments are now functional online. This will increase transparency and services would be completed in a time-bound manner, the urban body said.

In addition, for suggestions and feedbacks from the general public on the Master Plan of Delhi-2041, an online system has already been established.

Geographical information system for digitised layout plans of Delhi has been launched for easy public access, officials said.

The projects in the pipeline include an online user-friendly public grievance redress mechanism, latest technology in biometric attendance, accounts department's in-depth automation and computerisation of the sports complex-related activities, the statement said.

All data of automation activities are being migrated to National Informatics Centre (NIC) servers for security and protection of data.

The DDA's remote offices are also being connected through lease lines for seamless functioning and integration, it added.

Integration with DigiLocker will also be done to issue documents online and for record keeping, the statement said.

The DDA said it has also introduced various other e-governance initiatives. E-Office, e-HRMS and e-mail services of NIC, Government of India, have been implemented for online file and paper movements and for employees to manage daily processes with their digital signatures. About 15,000 files are now online, it said.

L-G inspects progress of ongoing Airport Drain project

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The progress of the ongoing Airport Drain project, which aims at providing relief from flooding and waterlogging in and around the IGI airport and the adjacent Dwarka sectors during monsoons, was inspected by Lieutenant Governor VK Saxena on Saturday.

According to officials, the L-G inspected the construction site of the culvert beneath the railway track and the site at Dwarka sector 8 and directed the officials to enhance the manpower and other resources to complete the drainage work at the earliest.

The project will be completed by June 2023 and will also ensure hassle-free movement of delegates and dignitaries visiting the national Capital during the monsoon months for the G-20 Summit, they said.

"Construction of the airport drain along with the creation of water bodies will be a big relief for the air travellers and the local residents of Dwarka. During the monsoon, the overflowing water from the airport as well as from the streets of Dwarka could be channelised to these water bodies," Saxena said.

The project that would channelise the rain and stormwater discharge from the IGI Airport to Najafgarh Drain, is being executed by Delhi Development Authority (DDA).

"The existing two drains at the IGI Airport have proven insufficient for discharging the huge amount of rainwater from the airport which has often resulted in severe waterlogging during heavy rains and thus causing disruption and cancellation of flights," a statement from the L-G office said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------पंजाब केसरी DELHI----------DATED- 19 फरवरी, 2023

पहल | 3000 खाली भूखंडों को डिजिटाइज करके मैपिंग के लिए इसरो को दिया गया

डिजिटलीकरण के मार्ग पर बढ़ रहा डीडीए

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल के तहत लोगों के दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से जुड़े विभिन्न कामों को और ज्यादा सरल बनाने के लिए प्राधिकरण ने पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई कदम उठाए हैं। डीडीए ने हाल ही में शुरू की गई कुछ पहलों में विभिन्न एप्लिकेशन पेश किए हैं, जैसे हाउसिंग के लिए आवास ऐप, भूमि निपटान के लिए भूमि ऐप, कोर्ट केस मैनेजमेंट के लिए पूर्वाकिल ऐप, शिकायतों की जांच के लिए डीडीए 311 और शिकायत प्रबंधन के लिए एसटीएफ ऐप। इन्हें पूरी तरह से ऑनलाइन कार्यान्वित किया गया है। डीडीए अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के लगभग 240 गांवों के भूमि रिकार्ड के प्रबंधन और मानचित्रों को डिजिटाइज करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर एलआईएमएस विकसित किया गया है। इसमें ऑनलाइन डैमेज कलेक्शन, ऑनलाइन डिमोलिशन प्रोग्राम मैनेजमेंट इत्यादि शामिल हैं। किसी आबंटित प्लॉट को भूमि पर वास्तविक रूप से इंगित करने हेतु दिल्ली के लेआउट प्लान को जीयो-मैप्स-जीयोपोर्टल के अंतर्गत डिजिटाइज किया गया है। उन्होंने बताया कि डीडीए भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने और इसके नियंत्रण के लिए प्राधिकरण के लगभग 3000 खाली भूखंडों को डिजिटाइज किया गया है और मैपिंग करने के लिए इसरो को सौंप दिया गया है। पर्याप्त जानकारी के साथ डीडीए की एक नई वेबसाइट शुरू की गई है, जो जनता के लिए उपयोगी होगी।

विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट

- ऑनलाइन यूजर-फ्रैंडली जन शिकायत निवारण, लेखा विभाग का इन-डेप्थ ऑटोमेशन, नवीनतम बायो-मेट्रिक उपस्थिति और खेल परिसर गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण।
- शिकायत निवारण के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए संभावनाएं तलाश करना और जनता की शिकायतों के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया का विश्लेषण करना ताकि उनकी शिकायतों का विधिवत निवारण हो सके।
- डाटा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एनआईसी के सर्वर पर ऑटोमेशन गतिविधियों के सभी डाटा को डालना।
- डीडीए के सभी सुदूर कार्यालयों को लीज लाइनों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि यहां बिना गतिरोध और एकीकृत कार्य हो सके।
- सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन जारी करने और रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए डीजी लॉकर के साथ इंटीग्रेशन करना।

छह लाख फाइलें की गईं डिजिटाइज

डीडीए ने लगभग छह लाख फाइलों को डिजिटाइज किया है और कंप्यूट्रीकृत रिकॉर्ड रूम स्थापित किया गया है ताकि रिकॉर्ड व फाइलों को आसानी से ढूंढा जा सके। डीडीए ने विभिन्न अन्य ई-गर्वनेंस पहल शुरू की हैं। ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस और एनआईसी, भारत सरकार की ई-मेल सेवाएं ऑनलाइन फाइलों और कागजों की आवाजाही के लिए क्रियान्वित की गई हैं और रोजमर्रा के कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए कर्मचारियों के उनके डिजिटल हस्ताक्षर से उन्हें क्रियान्वित किया गया है। अब तक लगभग 15000 फाइलों को ऑनलाइन कर दिया गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU Sunday, February 19, 2023 DELHI PERS--------------------DATED--------------------

IN BRIEF

L-G inspects progress of airport drain project

Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Saturday inspected the progress of the ongoing arport drain project, which aims to provide relief from waterlogging in and around the IGI Airport and the adjacent Dwarka sectors during the monsoons. The project is to be completed by June. "The airport drain will be capable of discharging 70 cubic metres of water per second during the peak rains," a Raj Niwas statement read, adding that the project is being executed by the Delhi Development Authority. The DDA is also creating five waterbodies in Dwarka, which will be used for storing the overflowing rainwater during the monsoons.

sunday pioneer
NEW DELHI | SUNDAY | FEBRUARY 19, 2023

Progress of works at Airport Drain project inspected

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Saturday inspected the progress of works on the ongoing Airport Drain project, which aims at providing a big relief from flooding and waterlogging in and around the IGI Airport and the adjacent Dwarka sectors during the Monsoons.

Travellers bound to the IGI Airport and the residents of the Dwarka sub-city can expect relief from flooding and waterlogging during the monsoon. The project is also ensure hassle-free movement of delegates and dignitaries visiting the national Capital during the monsoon months for the G-20 Summit this year.

This major drainage project that would channelize the rain and storm water discharge from the IGI Airport to Najafgarh Drain, is being executed by Delhi Development Authority (DDA) under the guidance of the LG, who has ensured seamless inter-agency coordination. This has resulted in fast-pacing of tasks as a result of which the project is expected to be completed by June 2023.This major project had been stuck for the last two years due to pending permissions for tree cutting/translocation from the Delhi Government. It was only after the LG's intervention that permission for tree translocation was given and the work on the airport drain commenced on November 20, 2022.

The LG, who has already undertaken five visits to the Airport Drain in the last three months, inspected the construction site of the culvert beneath the railway track and the site at Dwarka Sector - 8 on Saturday and directed the officials to enhance the manpower and other resources to complete the drainage work at the earliest.

According to officials, the existing 02 drains at the IGI Airport have proven insufficient for discharging the huge amount of rain water from the airport which has often resulted in severe waterlogging in and around the IGI Airport during heavy rains and thus causing disruption and cancellation of flights for several days major inconvenience to the passengers. Heavy waterlogging even forced closure of the IGI Airport on several occasions. This also caused flooding in the adjoining Dwarka Sector 8, which houses several prominent Government organizations. During the LG's visits to Dwarka, the residents had also complained of crippling waterlogging in several areas.

DDA, at the same time, is also creating 05 water bodies in the Dwarka region that will be used for storing the overflowing rain water during the monsoons. Once completed these

water bodies will have the total storage capacity of 1.22 lakh CuM of water that will prevent the rain water from flooding onto the streets.

Saxena said construction of the airport drain along with the creation of water bodies will be a big relief for the air travellers and the local residents of Dwarka. He said during the monsoon, the overflowing water from the airport as well as from the streets of Dwarka could be channelized to these water bodies.

The airport drain will be capable of discharging 70 CuM of water per second during the peak rains. The drain would start from inside the IGI Airport premises, pass beneath the Railway tracks though a broadened culvert adjoining the airport boundary in Dwarka Sector-8 and would connect to DDA's Trunk Drain - 2 (TD-2) that would further channelize the rain water to Najafgarh Drain. The airport drain will be 20 meter wide and will have a depth of 2 meter.

DDA to get ISRO's help to check encroachment on its vacant plots

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Indian Space Research Organisation (ISRO) will help the Delhi Development Authority (DDA) to check the encroachment on 3000 vacant plots.

"For encroachment detection and control on DDA Land, about 3000 vacant land parcels of DDA have been digitised and handed over to ISRO(Indian Space Research Organization) for mapping," the authority said on Saturday. With the help of this, real time information of the plot will be available.

Encroachment on its land has been a major problem for the DDA. A few years ago, the agency started a system to upload pictures of vacant land on a monthly basis to check on encroachments. While work on the project started in 2018,

DDA officials said the pace of work was affected by the Covid-19 pandemic.

Officials say that Land Information Management System (LIMS) software has been developed to make land records of about 240 villages online. It has other facilities including online damage collection, online demolition program management.

The layout plan has been digitized under Geo-Maps-Geoportal to depict the allotted plot realistically on the ground. Apart from this, to help the people, DDA has also started a new website. With this, the public will be able to get affordable housing and other necessary information. About six lakh files have been digitized and a computerized record room has been set up to facilitate easy access to records and easy search of files.

"Some of the recent initiatives introduced are various applications like, AWAAS for housing (applicants can do all the formalities for application, payment and possession online), BHOOMI for land disposal (design, development and implementation of online services in Land Disposal Department), Provakil for court case management (to track court proceedings and compliances), DDA-311 for grievances monitoring and STF for complaints management. These are implemented fully online in a seamless manner," DDA said in a statement.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। रविवार • 19 फरवरी • 2023 राष्ट्रीय सहारा

DATED

डीडीए ने पूरी की दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया

■ सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली।

राजधानी के लोगों की समस्याओं के समाधान, निपटान एवं अन्य विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लोगों को प्राधिकरण के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए अलग-अलग विभागों के जुड़े ऐप शुरू किए हैं। पाधिकरण का दावा है कि अब तक करीब 6 लाख फाइलों को ऑन लाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही 15000 कर्मचारियों की फाइलें (कार्मिक विभाग) भी ऑन लाइन कर दी गई हैं।

प्राधिकरण के मुताबिक हाउसिंग के लिए आवास ऐप (आवेदन-आवेदक, भुगतान, कब्जा), भूमि निपटान के लिए भूमी ऐप (भूमि निपटान, विभाग में ऑन लाइन सेवाओं को डिजायन, विकास एवं कार्यान्वयन), कोर्ट केस मैनेजमेंट के लिए प्रोवकील ऐप (अदालत की कार्रवाई एवं अनुपालन को ट्रैक करने के लिए) शिकायतों की जांच के लिए डीडीए-311 और शिकायत प्रबंधन के लिए एसटीएफ ऐप शुरू किए गए हैं।

हालांकि कंप्यूटरीकृत नागरिक सुविधा केंद्र, प्रोसेसिंग सेंटर, मास्टर प्लान-2041 के लिए ऑनलाइन प्रणाली डीडीए पहले ही शुरू कर चुका है। प्राधिकरण का मानना है कि यह ऐप शुरू करने से कनवर्जन, पट्टा बहाली, आवंटन, निविदा, ई-नीलामी, प्रोक्योरमेंट, भुगतान, इंजीनियरिंग मेजरमेंट आदि की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से तेजी से आगे बढ़ेगी और पारदर्शिता भी आएगी। प्राधिकरण का कहना है कि दिल्ली के 240 गावों का भूमि रेकार्ड, प्रबंधन एवं मानचित्रों को डिजिटल करने के लिए एक विशेष सॉफ्ट वेयर एलआईएमएस (भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली) विकसित की गई है। इसमें ऑनलाइन डेमेज, कलेक्शन, ऑन लाइन तोड़फोड़ प्रोग्राम मैनेजमेंट भी शामिल है। प्लॉट की मौजूदा स्थिति को दशनि के लिए दिल्ली के ले आउट प्लान का जीयो-मैप्स-जीयो पोर्टल के तहत डिजिटलाइजेशन किया गया है। इस प्रणली के तहत करीब 3000 प्लॉटों को डिजिटल कर दिया गया है और इसकी मैपिंग के लिए इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) को सौंप दिया गया है। इसकी पर्याप्त जानकारी के लिए डीडीए ने एक नई वेबसाइट www.dda.gov.in शुरू की है। संबंधित विभाग इस वेबसाईट पर जरूरी दस्तावेज अपलोड क सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए डीडीए की भावी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। डिजिटल हो चुकीं करीब 6 लाख फाइलों के लिए कंप्यूट रेकार्ड रूप स्थापित हो चुका है, ताकि फाइलों को ढूंढने में आसानी हो। इसके साथ ही केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए प्राधिकरण ने ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस और एनआईजी की शुरुआत की है। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य डेटा की सुरक्षा, सभी कार्यालयों को लीज लाइन सेवा से जोड़ना, सभी दस्तावेजों को ऑन लाइन जारी करना एवं रेकार्ड को डीजी लॉकर के माध्यम से बनाए रखना है ताकि फाइल, डेटा व अन्य जानकारी संग्रहित रखी जा सके।

छह लाख फाइलें ऑन लाइन, विभागवार ऐप बनाए

जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए 3000 भूखंडों की जीयो मैंपिंग की प्रक्रिया शुरू

मामलों के समयबद्ध निवटान के साथ ही आएगी पारदर्शिता

अमर उजाला रविवार, 19 फरवरी 2023

खाली डीडीए प्लॉट पर अतिक्रमण रोकेगा इसरो

इसरो की मैंपिंग से भूखंड की जानकारी मिलेगी

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खाली प्लाटों पर होने वाले अतिक्रमण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) रोकेगा। डीडीए ने अतिक्रमण की रोकथाम के लिए करीब तीन हजार खाली भूखंडों को डिजिटलाइज किया है। इसरो इनकी मैपिंग कर करेगा। इसकी मदद से भूखंड की रीयल टाइम जानकारी मिल सकेगी।

अधिकारियों का कहना है कि करीब 240 गांवों के भूमि रिकार्ड को ऑनलाइन करने के लिए भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसमें ऑनलाइन डैमेज कलेक्शन, ऑनलाइन डिमोलिशन प्रोग्राम मैनेजमेंट सहित अन्य सुविधाएं हैं। किसी आवंटित प्लॉट को भूमि पर वास्तविक रूप से बताने के लिए लेआउट प्लान को जीयो-मैप्स-जीयोपोर्टल के तहत डिजिटलाइज किया गया है। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए डीडीए ने नई वेबसाइट भी शुरू की है। इससे जनता को किफायती आवास और अन्य जरूरी जानकारी मिल सकेगी।

करीब छह लाख फाइलें डिजिटलाइज्ड की गई हैं और कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड रूम स्थापित किया गया है, ताकि रिकॉर्ड को आसानी व फाइलों को आसानी से तलाश किया जा सके। ब्यूरो

ई-ऑफिस से मिलेगी सुविधा

लोगों की सुविधा के लिए डीडीए ने ई-गर्वनेंस पहल शुरू की है। रोजमर्रा के कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए कर्मचारियों के उनके डिजिटल हस्ताक्षर से उन्हें क्रियाविंत किया गया है। अब तक करीब 15 हजार फाइलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन यूजर-फ्रैंडली जन शिकायत निवारण, लेखा विभाग का इन-डेप्थ आटोमेशन, नवीनतम बायो-मेट्रिक उपस्थिति और खेल परिसर गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण, सभी दस्तावेज को ऑनलाइन जारी करने और रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए डीजी लॉकर के साथ इंटीग्रेशन करना सहित अन्य शामिल हैं।

जून तक पूरा होगा एयरपोर्ट ड्रेन का काम

आईजीआई एयरपोर्ट और द्वारका के आसपास जलभराव खत्म होगा

नई दिल्ली। मानसून के पहले दिल्ली एयरपोर्ट और द्वारका इलाके में जलभराव से लोगों को राहत मिलेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद एयरपोर्ट ड्रेन योजना प्रगति रिपोर्ट की निगरानी कर रहे हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भी इस योजना को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना हैद। उपराज्यपाल ने डीडीए को जून तक इसे तैयार करने का निर्देश दिया है। यह योजना दो साल से अटकी हुई थी। उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद ही पेड़ के स्थानांतरण की अनुमति मिली और 20 नवंबर से काम शुरू हो सका।

उपराज्यपाल ने रेलवे ट्रैक के नीचे पुलिया के निर्माण स्थल और द्वारका सेक्टर- 8 में साइट का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल निकासी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। यहां मौजूद दो नालियां एयरपोर्ट से भारी मात्रा में बारिश के पानी के निर्वहन के लिए अपर्याप्त साबित हुई हैं। इसी वजह से मॉनसून के दौरान पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। द्वारका क्षेत्र में पांच जल निकाय भी बना रहा है जिनका उपयोग मानसून के दौरान वर्षा जल के भंडारण के लिए किया जाएगा। यहां पानी की कुल भंडारण क्षमता 1.22 लाख घनमीटर होगी। ब्यूरो